



2026:AHC:4440

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 16552 वर्ष 2025

ओम प्रकाश यादव

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : सौरभ सिंह, सुरेश कुमार मौर्या

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. आज दाखिल किया गया पूरक हलफनामा रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह के तर्कों को सुना गया।
3. विरोधी पक्षों के अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से तर्क दिया है कि वे आगे कोई हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, इसलिए पक्षों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 01.03.1990 को लेखपाल के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्हें वर्ष 2022 में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था, हालांकि, 22.09.2025 को उन्हें जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा निलंबित कर दिया गया था।
5. निलंबन आदेश पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।
6. इस न्यायालय ने 07.11.2025 को रिट याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद निर्देश मंगवाए गए। आज श्री गौरव सिंह द्वारा उप-मंडल मजिस्ट्रेट, हांडिया, प्रयागराज के हस्ताक्षर से निर्देश भेजे गए हैं। उनके अनुसार, 05.01.2026 की एक विवेचना रिपोर्ट है, जिसके अनुसार आरोप पत्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जारी होने के बाद विवेचना की गई और विवेचना अधिकारी ने एक विवेचना रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध नहीं पाया गया है। उनका निवेदन है कि मामला अब जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष है।

7. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवेचना अधिकारी पहले ही याचिकाकर्ता को आरोपों से निर्दोष ठहरा चुका है, इसलिए निलंबन जारी नहीं रखा जा सकता है।

8. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(क). प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 22.12.2025 को पारित निलंबन आदेश रद्द किया जाता है।

(ख) याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल किया जाएगा, उसे निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, यदि उसे निलंबन की तिथि से निलंबन रद्द होने तक निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया है।

9. आदेश पारित होने से अनुशासनात्मक प्राधिकारी को कार्यवाही समाप्त करने से नहीं रोका जा सकेगा और अंतिम आदेश पारित होने के बाद यदि आवश्यक हो तो प्राधिकारी को नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

10. तदनुसार, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

11. आज दाखिल किए गए निर्देश अभिलेख में रखे जाते हैं और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किए जाते हैं।

8 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)